

**कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, ग्वालियर म.प्र.**

कमांक./स्था.3/मा.शि.नियुक्ति/2021/3005

ग्वालियर,दिनांक 06/10/2021

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5(4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया। इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर सामाजिक विज्ञान विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

2/

Sn	Name and Father's Name	Address	ROLLNO	RANK	CATE GORY	SELECTED_ CATEGORY	Posting Place	DISTNAME
1	TILAK SINGH BHADAURIYA, Father's Name: SURENDRA SINGH BHADAURIYA	KEERATPURA KEERATPURA POST CHANDUPURA BHIND BHD 477001, District :BHIND	84713509	5	UR	UR/X/OP	M S RATE KA PURA, DISE Code- 23030711702	Bhind
2	MAHADEV PRASAD, Father's Name: VEERAN LAL	56 PT HAVAHAR LAL NEHRU MARG DR AMBEDKAR WARD GADHOULA NAKA KHURAI SAG 470117, District :SAGAR	85046700	30	OBC	OBC/X/OP	MS N Arron, DISE Code- 23460502502	Ashoknagar
3	RAMVEER SINGH, Father's Name: BHAN SINGH	13 ROHANDA MAJRA THAKURAN KA PURA ATER BHD 477111, District :BHIND	84900261	135	UR	UR/OH/O P	KUSMAN MS, DISE Code- 23070105402	Guna
4	MAHESH SINGH KATORIYA, Father's Name: RATAN SINGH	WARD NO 66 VILLAGE NAGOR POST BADORI TEHSIL GWALIOR GWL 475001, District :GWALIOR	84853342	532	SC	SC/OH/OP	Govt Ms. Jhanda, DISE Code- 23060809502	Shivpuri
5	VIJAY BAMNIYA, Father's Name: BAHADUR SINGH BAMNIYA	85 L I C COLONY L I C COLONY JHABUA JHABUA JHB 457661, District :JHABUA	84886496	1685	ST	ST/X/OP	MS N Mahualampur , DISE Code- 23460205502	Ashoknagar
6	SUNITA PANWAR, Father's Name: BAPULAL PANWAR	WARD NO.- 17 MOGIYA MOHALLA TATYA TOPE MARG BIAORA RJH 465674, District	84904163	2292	ST	ST/X/F	PIPAL HEDA DANG MS, DISE Code- 23070422802	Guna

Q.1116

Sn	Name and Father's Name	Address	ROLLNO	RANK	CATE GORY	SELECTED_ CATEGORY	Posting Place	DISTNAME
		:RAJGARH						
7	VIKRAM , Father's Name: NIRBHAY SINGH	78 WARD NO 1 NAYAPURA GAUTAMPURA DEPALPUR IND 453220, District :INDORE	85118910	2982	ST	ST/X/OP	Govt. Ms Salaiya Karera, DISE Code- 23060720803	Shivpuri
8	ANAMIKA BHALAVI, Father's Name: ARJUN SINGH BHALAVI	WARD NO.01 MUNDAPAR BARGHAT BARGHAT SEO 480667, District :SEONI	84942688	3402	ST	ST/X/F	Govt Ms. Basal, DISE Code- 23060207604	Shivpuri
9	RAVISHANKAR , Father's Name: SUKHESEN SINGH DHUMKETI	13 BAHERA TOLA VILLAGE BHURKA POST DHAMNI BLOCK MEHADWANI SHAHPURA DND 481672, District :MANDLA	84935740	3454	ST	GFST/X/O P	MS Soter, DISE Code- 23460506902	Ashoknagar
10	SANGEETA MUZALDA, Father's Name: SHANKARLAL	VILL DHULSAR POST LOHARI TEH KUKSHI DIST DHAR DHR 454335, District :DHAR	84890950	3856	ST	ST/X/F	Govt. Ms Akoda, DISE Code- 23060311002	Shivpuri
11	REETA THAKUR, Father's Name: LAXMAN THAKUR	- GRAM SINGHPUR BADA INDRA NAGAR NARSINGHPUR NSP 487110, District :NARSINGHPUR	84936703	4458	ST	GFST/X/F	Govt. Ms Dhakrora, DISE Code- 23060311202	Shivpuri
12	VINITA DUDWE, Father's Name: REM SINGH	HANUMAN CHOURAH AMBUA POST BORJHAD TEHSIL ALIRAJPUR ALR 457990, District :ALIRAJPUR	84887866	6829	ST	GFST/X/F	GOVT HS JHALONI, DISE Code- 23060526504	Shivpuri
13	RADHA BHURIYA, Father's Name: CHETRAM BHURIYA	0 VILL. TALAWALI POST KALYANPURA JHABUA JHB 457661, District :JHABUA	84885764	7200	ST	GFST/X/F	GOVT HS PIPRA, DISE Code- 23060500410	Shivpuri
14	SWETA BRAHAMNE, Father's Name: JANGARAM	OPP SARASWATI SHISHU MANDI PALSUD ROAD RAJPUR RAJPUR	84903063	1098 9	ST	GFST/X/F	Govt Ms. Sularkhurd, DISE Code-	Shivpuri

21110

Sn	Name and Father's Name	Address	ROLLNO	RANK	CATE GORY	SELECTED_ CATEGORY	Posting Place	DISTNAME
	BRAHAMNE	BDW 451447, District :KHARGONE					23060502602	

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्वां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन रुपये 32800/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S.)
- IV. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- V. नि:शक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
- VI. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- VIII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- IX. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
- X. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट-अ.)

7/ संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

Amo


8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।

11/ संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।


विशेष टीप:- यदि चरित्र / जाति / निःशक्तता / शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


(आर.के.उपाध्याय)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, ग्वालियर

पृ. क्रमांक./स्था.3/मा.शि.नियुक्ति/2021/3006
प्रतिलिपि:-

ग्वालियर, दिनांक 06/10/2021

- माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, भोपाल
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ
- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
- संभागायुक्त, ग्वालियर/चम्बल मध्यप्रदेश
- समस्त कलेक्टर, ग्वालियर/चम्बल संभाग मध्यप्रदेश
- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संसदी में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता / पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
- समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.
- चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में अपने पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को अपनी उपस्थिति दें।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, ग्वालियर

:: शपथ पत्र ::



मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नि.....निवासी.....
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह मेरा चयन.....पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 28 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् नहीं हुआ है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कॉडिका क्रमांक 1 लगायत 10 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को..... में किया गया है।

शपथग्रहिता